कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 428 /फेलिंग परमिट/2014–15, लखनऊ दिनांकः 21 ,जनवरी, 2015

स्थाई आदेश

प्रदेश में ई–गवर्नेन्स के माध्यम से कार्य सम्पादित किये जाने की नीति को बढावा देने, उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 के अन्तर्गत पूरी पारदर्शिता से कार्यवाही किये जाने तथा पातन अनुज्ञाओं का त्वरित गति से निस्तरण किये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार अवैध पातन पर नियंत्रण हेतु विकसित साफ्टवेयर ट्रैकिंग टूल को विकसित कराया गया है जिसका सफल परीक्षण प्रदेश के 08 जनपदों में किया जा चुका है।

यह आदेश दिया जाता है कि दिनांक–01.04.2015 से प्रदेश के सभी जनपदों में पातन अनुज्ञा जारी करने का कार्य ऑन लाईन किया जाये तथा इसकी प्रगति सूचना एक निर्धारित प्रपत्र में जिसका निर्धारण अपर प्रमुख वन संरक्षक, आई0टी0, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा किया जाएगा, प्रतिमाह अपर प्रमुख वन संरक्षक, आई0टी0, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायी जाये।

(डा0 रूपक डे)
प्रमुख वन संरक्षक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक संख्या– 428 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक, आई0टी0, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप प्रपत्र निर्धारित करें एवं प्रतिमाह होने वाली प्रगति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

(डा0 रूपक डे)
प्रमुख वन संरक्षक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक संख्या– 428 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0।
4. समस्त वन संरक्षक, उ0प्र0।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ0प्र0।
6. निदेशक वन सांख्यिकीय, उ0प्र0, लखनऊ।

(डा0 रूपक डे)
प्रमुख वन संरक्षक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।